

प्रेषक,

भास्करानन्द,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून: दिनांक: 31 दिसम्बर, 2013

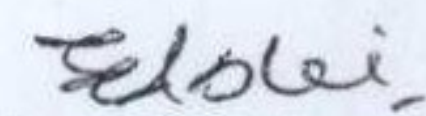
विषय:- उत्तराखण्ड राज्य सरकार में कार्यरत विवाहित पुरुष कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पत्र संख्या-1308/1/97-इएसटीटी(एल0) दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 एवं संख्या-1308/2/98-इएसटीटी(एल0) दिनांक 16 जुलाई, 1999 द्वारा भारत सरकार के पुरुष कार्मिकों को अधिकतम दो बच्चों के जन्म के समय जच्चा-बच्चा की देखभाल हेतु 15 दिन के पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था है। इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य सरकार में भी कार्यरत विवाहित पुरुष कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. एक पुरुष सरकारी कर्मचारी (प्रशिक्षु सहित) जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों, को उसकी पत्नी के प्रसव काल के दौरान बच्चे पैदा होने से 15 दिन पूर्व अथवा बच्चा पैदा होने की तिथि से छः माह तक, अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा 15 दिन की अवधि का अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
2. 15 दिनों की ऐसी अवधि के दौरान उसे, अवकाश पर जाने से तत्काल पूर्व आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन दिया जायेगा।
3. पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ लिया जा सकता है।
4. पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) अवकाश खाते के नामे नहीं डाला जायेगा।
5. यदि पितृत्व अवकाश, उप नियम (1) में निर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत नहीं लिया जाता है, तो इस प्रकार का अवकाश समाप्त हुआ, समझा जायेगा।

टिप्पणी:- "सामान्यतः पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) किसी भी दशा में अस्वीकृत नहीं किया जायेगा।"


(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या 819 (1)/XXVII(7)34/2010-11 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल ऑडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
9. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।